पत्रांक 1 आ०-बजट-उप०-16/2007....................../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

संकल्प

विषयः गैर प्राकृतिक आपदा के मामलों में राहत के संबंध में ।

प्राकृतिक आपदा के लिए राहत देय है एवं इसके लिए मापदण्डं निर्धारित है। वर्त्तमान मे गैर प्राकृतिक आपदा के लिए राहत की अनुमान्यता नहीं है, जबकि आपदा प्रबंधन अधिनियम के अन्तर्गत आपदा की परिभाषा में गैर प्राकृतिक कारणों से जनित आपदा भी सम्मिलित है।

2. राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि गैर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में जिससे व्यक्ति समुह कुप्रभावित हुए हैं- के मामले में सहायता अनुमान्य होगी। कौन मामले आपदा की परिभाषा में आयेंगे, यह घटना विशेष तथा उससे होने वाले जानमाल की क्षति पर निर्भर करेगा। कोई मामला आपदा की कोटि में आता है या नहीं इसका निर्णय संबंधित जिला पदाधिकारी के द्वारा सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर किया जायेगा।

3. गैर प्राकृतिक आपदा के मामले में घायल एवं मृत व्यक्तियों के लिए अनुग्रह अनुदान आपदा राहत कोष के अन्तर्गत निर्धारित मापदंड के अनुसार अनुमान्य होगी। इसके अतिरिक्त घायलों के इलाज के लिए आपदा राहत कोष मे निर्धारित मापदंड के अनुसार सहायता अनुमान्य होगी।

4. चूँकि केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित आपदा राहत कोष के अन्तर्गत गैर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सहायता अनुमान्य नहीं है, अतः इस पर हुई व्यय की राशि पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। इसके लिए अलग से एक नया शीर्ष "गैर योजना मुख्य शीर्ष 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण उपमुख्य शीर्ष -60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यकम - लघुशीर्ष -200- अन्य कार्यकम उपशीर्ष 0008 गैर प्राकृतिक आपदा की स्थितियों में मृत्यु एवं घायल होने पर प्रभावित व्यक्तियों /परिवारों को अनुग्रह अनुदान" खोला गया है।

5. आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(आर० के० सिंह)

प्रधान सचिव

MukeshCom D (H)\ From April 2008-09\Budget\sankalp (01.10.08)

1

ज्ञापांक 2907 आ0प्र0 पटना-15, दिनांक- 3/10/08

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 2907 आ0प्र0 पटना-15, दिनांक- 3/10/08

प्रतिलिपि: अ[illegible] राजकीय प्रेस, सचिवालय मुद्रणालय, गु[illegible]जारबाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आ[illegible] कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि [illegible]क्त संकल्प की 500 (पाँच सौ) प्रति मुद्रित [illegible] विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 2907 [illegible]0प्र0 पटना-15, दिनांक- 3/10/08

प्रतिलिपि: सर[illegible] के सभी प्रधान सचिव/ सभी सचिव/ स[illegible] विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ स[illegible] [illegible]ला पदाधिकारी/ सभी कोषागार पदाधिकार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 2907 [illegible]प्र0 पटना-15, दिनांक- 3/10/08

प्रतिलिपि: मुख्[illegible]व के सचिव, को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 2907 [illegible]प्र0 पटना-15, दिनांक- 3/10/08

प्रतिलिपि: मान[illegible] राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आपदा प्रबंधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषि[illegible]

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 2907 [illegible]प्र0 पटना-15, दिनांक- 3/10/08

प्रतिलिपि: बि[illegible] सभी पदाधिकारी/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक क[illegible] प्रेषित ।

प्रधान सचिव